ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ार्था–पत्र संख्या :–16 / 2023 — दायर दिनांकः 26.12.2022

GCMS NO:- 2023/24 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. हेमराज आ0 रंगलाल जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
2. मायाराम आ0 रंगलाल जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
3. भंवरलाल आ0 औंकार जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
4. सोहनी पुत्री औंकार जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट)–

बनाम

1. मोती आ0 रामकुंवार जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
2. शोराज आ0 केसरा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
3. शोजी आ0 केसरा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
4. गीता पुत्री केसरा पत्नी प्रंहलाद जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा।
5. रमेशी पुत्री केसरा पत्नी गिर्राज जाति मीणा नि0 भजनेरी।
6. चतुर्भुज आ0 कान्हा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
7. रामनारायण आ0 सुवा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
8. शोनारायण आ0 सुखा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
9. रामकिशन आ0 सुखा जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
10. कैलाश आ0 रंगलाल जाति मीणा नि0 दलेलपुरा तहसील नैनवॉ।
11. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण
(अपीलांट संख्या 7 लगायत 9)–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट) की ओर से वकील श्री नरेश कुमार मीणा।
अप्रार्थी (अपीलांट) शोनारायण की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम दलेलपुरा प0म0 खेरूणा मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 59 व 61 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा पर आवागमन का एक मात्र रास्ता नैनवॉ से दलेलपुरा रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 57 व 56 के बीच की मेड पर स्थित है। उक्त रास्ता सैकडों वर्षो से निकला हुआ है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने कृषि यंत्रों को लाते ले जाते थे। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे पहुंचने का नही था जिस कम मे अप्रार्थीगण के जवाब एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को ध्यान मे रखते हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 24.8.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 56 व 57 मे से रास्ता देने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 9 द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.8.2021 को निरस्त करी अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियम 69 से 70 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2022 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यार्थीगण (अपीलाण्ट) संख्या 7 व 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रत्यार्थीगण (अपीलाण्ट) संख्या 8 शोनारायण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया

गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता दिया जाना उचित बताया। साथ ही अपीलाण्ट आज दिनांक 30.5.2025 को अपीलाण्ट शोनारायण व मोतीलाल द्वारा भी प्रार्थी द्वारा मांगे गए रास्ते को दिये जाने बाबत् सहमति प्रार्थना पत्र पेश किया।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 16.11.2022, तहसीलदार रिपोर्ट व अपीलाण्ट का सहमति प्रार्थना पत्र व अन्य संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय की पालना मे पुनः प्राप्त तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2025 के कम मे ग्राम दलेलपुरा प0म0 खेरूणा मे स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 61 व 59 पर पहुंचने के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 24.8.2021 द्वारा खसरा नम्बर 56 व 57 मे से जो रास्ता दिया गया था वो ही न्यायोचित रहेगा जिसकी सहमति उपस्थित अपीलाण्ट शोनारायण आदि द्वारा भी दी जा चुकी है।

अतः इस न्यायालय के पूर्व के निर्णय को यथावत रखा जाकर तहसीलदार नैनवॉ को निर्देशित किया जाता है कि यदि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 24.08.2021 की पालना मे प्रार्थीगण द्वारा यदि राशि जमा करवायी गयी हो अथवा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया हो तो उसे यथावत रखा जाकर मौके पर रास्ता बहाल करवाना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

कार्यालय ...
क्रमांकः– ...
प्रेषितः–

यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–126 / 2020 दायर दिनांक: 10.08.2020

MS NO:- 2020/00246

ासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हेमराज पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. मायाराज पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. भंवरलाल पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. सोहनी पुत्री ओंकार जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोती पुत्र रामकुवांर जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. शोराज पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. शोजी पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. गीता पुत्री केसरा पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. रमेशी पुत्री केसरा पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. चतुर्भुज पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. रामनारायण पुत्र सुवा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. शोनारायण पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
9. रामकिशन पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
10. केलाश पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
11. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गुर्जर

प्रत्यार्थीगण के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा

निर्णय दिनांक 24.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 10 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में आवागमन का एक रास्ता नैनवां से दलेलपुरा रास्ते से फटकर खसरा संख्या 57 व भूमि खसरा संख्या 56 के बीच की मेड पर होकर निकल रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण ट्रेक्टर, बेलगाडी व अन्य कृषि यंत्र लाते ले जाते है। इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बताया गया है इस रास्ते का प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। यह कि राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 56 व खसरा संख्या 57 के खातेदार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रास्ते को अवरूद्व करने का प्रयत्न करते है यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में अंकन कराये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ.नकल जमावंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 7,8,9 के अनुसार ग्राम दलेलपुरा खसरा संख्या 53 पर एक कुआ लगा हुआ है जो कि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण का लगती है जिस पर जाने का एक मात्र रास्ता ख.सं. 56 एवं ख.स. 52 के मध्य स्थित मेड पर निकलता है जो नैनवा से दलेलपुरा जाने वाले रास्ते से ख.स. 53 पर स्थित शामलाती कुए पर जाता है तथा ख.सं. 59 व 61 जाने से पूर्व कुए पर ख.सं. 53 जाने का रास्ता आवश्यक है तथा ख.सं. 59 व 61 व ख.सं. 55 पास पास ही जो एक दूसरे से जुडे हुए है उक्त खसरा संख्या 54,55,59,61 खसरा संख्या 53 से जुडे हुए है इन से भी खसरा सख्या में एक मात्र रास्ता ख.स. 56 व 52 के मध्य की मेर से निकलता है इनके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में नैनवा से दलेलपुरा रास्ते से कुए तक जाने का रास्ता सुखाचार के आधार पर पृथम दृष्टया आवश्यक है न कि प्रार्थना पत्र में दर्शायानुसार । इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से दर्शाये गये अनुसार परिशिष्ट अ में नक्शे में रास्ता निकालने से अधिक भूमि खर्च होगी और मुख्य रूप से कुए के रास्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि अभी तक ख.सं. 56 व 57 के मध्य के मेड पर कही रास्ता नही है यहां से कोई भी खातेदारान आते जाते नहीं है बल्कि सभी ख.सं. 54,55,56,57,58,59,61 तक के खातेदारान ख.सं. 56 व 52 के मध्य मेड पर बने रास्ते से ख. स. 53 में लगें कुए तक आते जाते आ रहे है और इसी रास्ते से सभी खातेदारान कृषि यंत्र लाते–ले जाते है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 56 व 57 की बीच की मेड से होकर रास्ता चाहा गया है। यह है कि खसरा संख्या 59 व 61 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 56 व 57 में से रास्ता दिया जाना उचित है। यह है कि खसरा संख्या 56 व 57 की बीच की मेर सीधा रास्ता देने पर रास्ता खसरा संख्या 61 में केवल एक गटठ्ा ही रास्ता जाता है तथा एक गटठ्ा रास्ता खसरा संख्या 55 में जाता है। अर्थात प्रार्थीगण का खेत जहां से शुरू होता है वहां खसरा संख्या 61 में केवल एक गटठ्ा ही रास्ता जाता है। प्रस्तावित नक्शानुसार ही रास्ता दिया जाना उचित होगा। यह है कि प्रस्तावित नक्शानुसार रास्ता दिये जाने पर कंघी परकार से रकबा बरारी अनुसार खसरा सख्या 56 की एक बिस्वा व खसरा संख्या 57 की एक बिस्वा भूमि कुल दो बिस्वा भूमि रास्ते में आती है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैंनवां की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा सख्या 56 की एक बिस्वा व खसरा संख्या 57 की एक बिस्वा भूमि कुल दो बिस्वा भूमि परिशिष्ट ''क'' में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की कीमत नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

कल नक्शा ट्रेस
ग्राम - दलेलपुरा
तह० - नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)
पैमाना - १६" = १मील

परिशिष्ट "क"

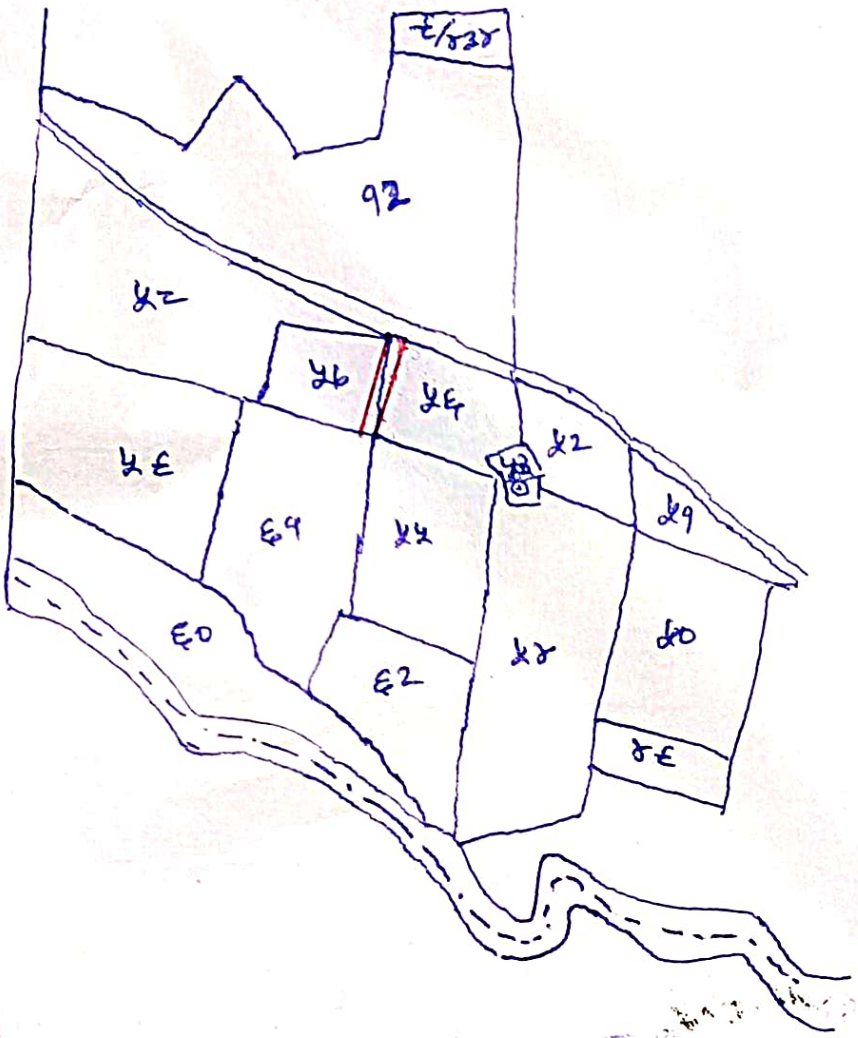

संकेत → || प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

शुद्ध प्रतिलिपि
पटवारी
पटवार मण्डल.......खेराणा
तह. ... जिला बून्दी (राज.)

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी
दिनांक - 15/9/2023